**संख्या-45/2020/887/71-3-2020-एनएम-08/2019**

**प्रेषक,**

**अमित गुप्ता,**
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**प्रधानाचार्य,**
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
बहराइच।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 25 अगस्त, 2020

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच में कोविड-19 (वैश्विक महामारी) की रोकथाम/प्रबन्धन हेतु कोविड चिकित्सालय के संचालन एवं कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के उपचार/प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0ब0/बजट/2020-21/2344, दिनांक 14-08-2020, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच में कोविड-19 (वैश्विक महामारी) की रोकथाम/प्रबन्धन हेतु कोविड चिकित्सालय के संचालन एवं कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के उपचार/प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु धनरशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है**,** का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच में कोविड-19 (वैश्विक महामारी) की रोकथाम/प्रबन्धन हेतु कोविड चिकित्सालय के संचालन एवं कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के उपचार/प्रबन्धन हेतु निम्न उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए 26-मशीनें एवं साज-सज्जा/उपकरण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 80,00,000/- (रू0 अस्सी लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

| क्र0सं0 | उपकरण/सामग्री | मात्रा | दर प्रति अद्द | धनराशि (रू0 लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Para Multi Monitor | 25 | 2,00,000.00 | 50.00 |
| 2 | Oxygen cylinder | 300 | 10,000.00 | 30.00 |
| | | | **योग-** | **80.00** |

1. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच से सम्बद्ध चिकित्सालय में उपकरण क्रय/सामग्री/मैनपावर आदि के सम्बन्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई है। अत इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बहराइच द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह विद्यमान प्रोक्योरमेन्ट से जुड़े हुए अधिकारियों के स्थान पर कर्मठ एवं अच्छी छवि वाले अधिकारियों/चिकित्सकों को प्रोक्योरमेन्ट में रखते हुए अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करें।
2. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
3. राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी विशिष्टियॉ 03 साल तक वैद्य रहेगी। उक्त विशिष्टियों के आधार पर वर्ष, 2018-19 एवं 2019-20 एवं 2020-21 में उपकरणों का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
6. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
9. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
10. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-2737/71-1-2018-जी-307/2017, दिनांक 23-08-2018 एवं संख्या-3964/71-1-2017-जी-283/2017, दिनॉक 11.12.2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
14. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जाना चाहिए। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व ऑडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-83-मेडिकल कालेज, बहराइच 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

**भवदीय,**

**( अमित गुप्ता )**
सचिव।

संख्या:-45/2020/887(1)/71-3-2020, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**( अनिल कुमार )**
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in